

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 7—जून 13, 2014 (ज्येष्ठ 17, 1936)

No. 23]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 7—JUNE 13, 2014 (JYAISTHA 17, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 मई 2014

सं. ए. 22012/1/2014-पीएमई—राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव, श्री धीरज गुप्ता, आईएएस (जेके : 1993) की 3 वर्ष की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को दिनांक 30 जून, 2014 से 31 जुलाई, 2015 तक बढ़ाते हैं।

2. योजना आयोग में सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर) नियुक्त होने के फलस्वरूप श्री धीरज गुप्ता, आईएएस (जेके : 93) ने दिनांक 15 मई, 2014 (अपराहन) से प्रधान मंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 16 मई 2014

सं. ए. 22017/02/2014-पीएमई---वाणिज्य विभाग में उप सचिव के पद पर नियुक्त होने के फलस्वरूप श्रीमती हिमानी सारद (आईआईएस : 2002) ने दिनांक 16 मई, 2014 के अपराहन से प्रधान मंत्री की अतिरिक्त निजी सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

सं. ए. 22017/01/2009-पीएमए---अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), वाशिंगटन डी.सी. में कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार (संयुक्त सचिव स्तर) नियुक्त होने के फलस्वरूप श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी, आईएस (जेएच : 1987) ने दिनांक 16 मई, 2014 के अपराहन से प्रधान मंत्री के निजी सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 20 मई 2014

सं. ए. 22012/1/2014-पीएमई---कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.5.2013 के कार्यालय जापन सं. 5/11/2011-सीएस.आई(यू) द्वारा अवर सचिव की वर्ष 2009 की चयन सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री पी.के. बाली का नाम शामिल किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, उन्हें दिनांक 13.5.2013 (पूर्वाहन) से प्रधान मंत्री कार्यालय में नियमित अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति कैट, पीबी, नई दिल्ली के दिनांक 24.2.2012 के अंतरिम आदेश के निबंधन में पी. एस. भंडारी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के नाम से दर्ज ओ. ए. सं.611/2012 के अंतिम निर्णय और इससे जुड़े किसी मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अन्य आदेश के अध्यधीन होगी।

आर. मैथिली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 जनवरी 2014

सं. आरएस./6/4/2013/106-कार्मिक---अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की पूर्व अध्यक्षा (श्रीमती माया सिंह) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में श्रीमती वत्सला जोशी की सेवाएं 23 दिसंबर, 2013 के पूर्वाहन से समाप्त की जाती हैं।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस/6/4/2013/107-कार्मिक---श्रीमती वत्सला जोशी को 23 दिसम्बर, 2013 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक के लिए राज्य सभा सचिवालय में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की अध्यक्षा (डा. नजमा हेपतुल्ला) के वैयक्तिक स्टाफ में 15600-39100 रुपए के वेतन बैंड-3 + 6600/- रुपए के ग्रेड वेतन में प्रतिनियुक्ति पर तथा सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

2. श्रीमती वत्सला जोशी की नियुक्ति अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की वर्तमान अध्यक्षा के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 26 फरवरी 2014

सं. आरएस.3/1/1/2014/4-कार्मिक----राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली अधिकारी के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 6 फरवरी, 2014 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है:-

1. श्री श्रीजीत वी.
2. श्री उज्ज्वल कुमार

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस/3/2/1/2014/6-कार्मिक----राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत श्रीमती वंदना सिंह, सहायक निदेशक (लार्डिस) को 26 फरवरी, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3+ 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप निदेशक (लार्डिस) के रूप में नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 27 फरवरी 2014

सं. आरएस./3/4/1/2014/7-कार्मिक----राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत वैयक्तिक सहायक श्री जय प्रकाश रानीवाल को 11 फरवरी, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ निजी सचिव के ग्रेड में स्व-स्थाने आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति दिनांक 26 नवम्बर, 2009 के आर एण्ड सी एस आदेश सं. 5/2009 द्वारा अधिसूचित स्व-स्थाने पदोन्नति योजना में अन्तर्विष्ट उपबंधों द्वारा नियंत्रित होगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस.3/6/1/2014/8-कार्मिक----राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत वरिष्ठ मुद्रण सहायक श्रीमती विनोद कुमारी को 28 जनवरी, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में स्व-स्थाने आधार पर 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ मुद्रण अधिकारी के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति दिनांक 26 नवम्बर, 2009 के आर एण्ड सी एस आदेश सं. 5/2009 द्वारा अधिसूचित स्व-स्थाने पदोन्नति योजना में अन्तर्विष्ट उपबंधों द्वारा नियंत्रित होगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 6 मार्च 2014

सं. आरएस.3/2/1/2014/11-कार्मिक----राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अनुसंधान सहायक श्रीमती प्रबिता खोयुमथेम को 6 मार्च, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में

15,600–39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रुपये के ग्रेड वेतन में और नियमों के अधीन ग्राह्य सामान्य भत्तों के साथ नियमित आधार पर अनुसंधान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 10 मार्च 2014

सं. आरएस.3/1(1)/2014/12-कार्मिक---श्री राजीव सक्सेना, जिन्हें दिनांक 30 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. आरएस.3/1(1)/2011/29-कार्मिक के अंतर्गत राज्य सभा सचिवालय में विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली अधिकारी के ग्रेड में स्व-स्थाने आधार पर नियुक्त किया गया था, को 7 मार्च, 2014 के पूर्वाह्न से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति के एवज में समायोजित किया जाता है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 18 मार्च 2014

सं. आरएस.3/7/2014/15-कार्मिक---राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सहायक निदेशक (संपादन और अनुवाद) के रूप में कार्यरत श्री कालीशरण बुडाकोटी को 13 मार्च, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 28 मार्च 2014

सं. आरएस.3/1/1/2014/17-कार्मिक---राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली अधिकारी के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 8 मार्च, 2014 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600–39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है:-

1. श्री प्रीतम कुमार
2. श्री राजीव सक्सेना

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 2 अप्रैल 2014

सं. आरएस.3/1/1/2014/18-कार्मिक---राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सहायक निदेशक के रूप में कार्यरत श्री विनय कुमार पाठक को 1 अप्रैल, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. वह उप-निदेशक के ग्रेड में श्री बृज मोहन सिंह राणा से वरिष्ठ होंगे।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 15 अप्रैल 2014

सं. आरएस.3/1/1/2014/19-कार्मिक---श्री अनुराग रंजन, जिन्हें पूर्व में अधिसूचना सं. आरएस.3/1(1)/2011/110-कार्मिक, दिनांक 23 नवम्बर, 2011 के द्वारा राज्य सभा सचिवालय में विधायी/समिति/नयाचार/अधिशायी अधिकारी के ग्रेड में *स्व-स्थाने* आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को 9 अप्रैल, 2014 के पूर्वाह्न से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति के एवज में समायोजित कर दिया गया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 17 अप्रैल 2014

सं. आरएस.3/7/2014/21-कार्मिक---राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत अनुवादक श्री राजेश कुमार को 16 अप्रैल, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संपादक के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक अप्रैल 21 2014

सं. आरएस.42/2/2014/22-कार्मिक---राज्य सभा टेलीविजन में अधिशायी अधिकारी के पद से कार्यमुक्त होने पर श्री अरुण बखशी, अधिशायी अधिकारी (स्व-स्थाने) ने 17 अप्रैल, 2014 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 22 अप्रैल 2014

सं. आरएस.3/1/1/2014/23-कार्मिक---राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में उप निदेशक के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 19 मार्च, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड-3 + 8,000/- रुपए के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है:-

1. श्री गिरिजा शंकर प्रसाद
2. श्री नरेन्द्र कुमार

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 5 मई 2014

सं. आरएस.42/5/2014/27-कार्मिक---अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री के. रहमान खान) के वैयक्तिक स्टाफ में निजी सचिव के पद से कार्यमुक्त होने पर श्री बदरुद्दीन संयुक्त निदेशक (पीएसएसएस) ने 2 मई, 2014 के पूर्वाह्न से इस सचिवालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 6 मई 2014

सं. आरएस./3/4/1/2014/30-कार्मिक---राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में उप निदेशक (पीएसएसएस), कु. मधु शर्मा को 27 अप्रैल, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 8,000/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ संयुक्त निदेशक (पीएसएसएस) के ग्रेड में नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस./3/4/1/2014/31-कार्मिक---राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत वरिष्ठ निजी सचिव श्री संजय कुमार जैन को 12 अप्रैल, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक, इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 + 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप-निदेशक (पीएसएसएस) के रूप में स्व-स्थाने आधार पर नियुक्त किया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति दिनांक 26 नवम्बर, 2009 के आर एण्ड सी एस आदेश सं. 5/2009 द्वारा अधिसूचित स्व-स्थाने पदोन्नति योजना में अन्तर्विष्ट उपबंधों द्वारा नियंत्रित होगी।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस./3/7/2014/29-कार्मिक---राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत निदेशक (संपादन और अनुवाद) श्री चन्द्र शेखर मिश्र को 5 मई, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 + 10,000/- रुपये के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर संयुक्त सचिव (संपादन और अनुवाद) के रूप में नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 8 मई 2014

सं. आरएस/46/2013/32-कार्मिक---रोजगार और शिल्पकार प्रशिक्षण निदेशालय, श्रम और रोजगार विभाग, असम सरकार, रेहबाड़ी, गुवाहाटी में रोजगार अधिकारी (वी.जी.) के पद से कार्यमुक्त होने के उपरांत श्रीमती बर्नाली गोस्वामी को 07 मई, 2014 के पूर्वाह्न से राज्य सभा टेलीविजन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वेतन बैंड-3 में 15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 5,400/- रुपए तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ अधिशासी अधिकारी के रूप में तीन वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 12 मई 2014

सं.आरएस.3/7/2014/34-कार्मिक---श्रीमती सुलक्षणा शर्मा, जिन्हें पूर्व में अधिसूचना सं. आरएस.3/7/2012/79-कार्मिक, दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा राज्य सभा सचिवालय में निदेशक (संपादन और अनुवाद) के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को 9 मई, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 12 मई 2014

सं. आरएस.42/5/2014/33-कार्मिक----इस सचिवालय में कार्यरत संयुक्त निदेशक (पीएसएसएस) श्री बदरूद्दीन को 12 मई, 2014 के पूर्वाह्न में कार्यमुक्त कर दिया गया है और उनकी सेवाएं 20.08.2017 की अवधि तक मानक विदेश सेवा शर्तों के अनुसार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम (एनएडब्ल्यूएडीसीओ) में वेतन बैंड 4 + 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन में भारत सरकार के निदेशक के पद के समकक्ष कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन कर दी गई हैं।

उज्ज्वल कुमार, सहायक निदेशक

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2014

सं. ए-19014/01/2009-प्रशासन--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय में डॉ० चन्द्रजीत, को वेतन बैंड-3 के वेतनमान-15,600-39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. में नये संविदा आधार पर दिनांक 18 मई, 2014 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, उप-निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. कामेश्वर, उप सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 19 मई 2014

सं. 7/1(1)2014-I----राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, वलियमला, तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु.	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	पी.वी. वेंकिटा कृष्णन	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एच
2	राजसेखरन आर.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसजी
3	फिलिप टी.एम.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसजी
4	के. कुमार	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसजी
5	टी.आर. हरिकुमार	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसजी
6	वी. विश्वनाथ	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ
7	लिजित के.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई
8	अरूण कुमार एम.एस.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई
9	आर. सुंदरेसन	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई
10	आर. विजय कुमार	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी
11	विजय सिंह	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी
12	शर्मिष्ठा चौबे	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी
13	पी.वी. ससिधरन	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(1)2014-I----राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, वलियमला, तिरुवनंतपुरम में श्री एम.जी. जेम्स, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी को वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 07.01.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं ।

एन.पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(1)2014-I----राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, वलियमला, तिरुवनंतपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	शाजी के.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-जी
2	जयनारायणन एम.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसजी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-जी
3	के.कमाची	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसजी
4	वी.पी. शाजी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसजी
5	वाई. सतीश	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ
6	मोहन लाल बी.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ
7	कृष्णदास पी.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ
8	जिजिमॉन एन.के.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ
9	राजीव सेनन सी.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसएफ
10	सुजीत के. राजन	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई
11	बैजू इस्साक	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई
12	अजीत बी.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसई
13	लिनि के.एस.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी
14	श्रीजित टी.वी.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी
15	वी.जे. देवासिया	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी
16	किरण मोहन	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी
17	अतुल रावल	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी
18	सुरेन्द्रन कुन्नोत	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी
19	हरेन्द्र कुमार सिंह	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी
20	वी.एल. जोसकुट्टी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी
21	दीपक दिनेश	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी
22	सरत मोहन के.एस.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी
23	वेंकट सुनील साई एन.	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एससी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एसडी

एन.पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(1)2014-I----राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, वलियमला, तिरुवनंतपुरम में श्री प्रियां एस.ए., वरिष्ठ तकनीकी सहायक-ए. को वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एस.सी के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2011 के पूर्वाहन से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं ।

एन.पट्टाभि रामन, अवर सचिव

दिनांक 21 मई 2014

सं. 2/1(1)2014-I----राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आँकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकंदराबाद में निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पद पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाहन से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की तिथि
1.	राकेश शुक्ला	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	01.01.2014
2.	के. राघवेन्द्र	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	01.01.2014
3.	के. वी. भीमेश्वरा राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	01.01.2014
4.	दिप्ति हरिदास	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	01.01.2014
5.	टी. तिरुपति	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी	01.01.2014
6.	सुमंत कुमार पात्र	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	16.01.2014

एन.पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 2/1(1)2014-I----राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आँकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकंदराबाद में कु. एम. रचना रेड्डी को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक:28.09.2012 के पूर्वाहन से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एन.पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 2/1(1)2014-I----राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आँकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकंदराबाद में निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पद पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाहन से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम श्री/श्रीमती/कु	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति की तिथि
1.	ई. विजय कुमार	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	08.02.2013
2.	जे. वसंती	वरिष्ठ क्रय एवं भंडार अधिकारी	30.10.2013
3.	के. मालकोंडेश्वर राव	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	02.04.2014

एन.पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 2/1(2)/2014-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आँकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकंदराबाद में श्री टी.एन.सी. कार्तिक, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 24.12.2013 के अपराहन से स्वीकार करते हैं।

एन.पट्टाभि रामन, अवर सचिव

योजना आयोग
राष्ट्रीय वर्षा संचित क्षेत्र प्राधिकरण
नई दिल्ली-110012, दिनांक 21 मई 2014

सं. 1-17/2013-एन.आर.ए.ए.—भारत के राष्ट्रपति द्वारा डॉ. एम. के. श्रीवास्तव को राष्ट्रीय वर्षा संचित क्षेत्र प्राधिकरण, योजना आयोग में निदेशक (पशुपालन एवं मत्स्य) के पद पर दिनांक 01.08.2013 से दो वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर पी.बी.-4 मूल वेतनमान रुपए 37,400-67,000/- + ग्रेड पे रुपए 8,900/- नियुक्त किया जाता है।

कंवल जीत सिंह, अवर सचिव

सं. 1-27/2013-एन.आर.ए.ए.—भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री सोराज सिंह को राष्ट्रीय वर्षा संचित क्षेत्र प्राधिकरण, योजना आयोग में निदेशक (कृषि एवं बागबानी) के पद पर दिनांक 08.11.2013 से तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर पी.बी.-4 मूल वेतनमान रुपए 37,400-67,000/- + ग्रेड पे रुपए 8,900/- नियुक्त किया जाता है।

कंवल जीत सिंह, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 मई 2014

सं. ए-19/जी-ए/102—आयोग की दिनांक 26.03.2013 की अधिसूचना के अनुक्रम में, भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (एल आई ओ) के पद पर, रु. 15,600-39,100/- के वेतन बैंड-3 और तदनुरूपी ग्रेड वेतन रु. 7,600/- में, श्री सलेक चन्द की प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 04.03.2014 (अपराहन) से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, विद्यमान शर्तों पर एतद्वारा बढ़ाई जाती है।

बी.सी. पात्रा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2014

सं. 12021/16/2011-रा.भा. (कार्यान्वयन-1)----राष्ट्रपति सहर्ष श्री हरीश सिंह चौहान को दिनांक 25.10.2013 (पूर्वाहन) से गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में स्थानांतरण (विलय) आधार पर अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) नियुक्त करते हैं।

राज क्रिशन भोरिया, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2014

सं. 2009/17/13017-अ.भा.से.(I)----केन्द्र सरकार, एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तमिलनाडु और राजस्थान की सरकारों की सहमति से श्री हर सहाय मीना, भारतीय प्रशासनिक सेवा (तमिलनाडु : 97) की तमिलनाडु संवर्ग से राजस्थान संवर्ग में अंतर्संवर्गीय प्रतिनियुक्ति की अवधि 18.02.2014 से 17.08.2014 तक छह माह के लिए बढ़ाने के विस्तार को अनुमोदन प्रदान करती हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. /1301708/2012-अ.से.भा.(I)----केन्द्र सरकार, एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मणिपुर-त्रिपुरा और उत्तराखंड की सरकारों की सहमति से श्री एम. एच. खान, भारतीय प्रशासनिक सेवा (मणिपुर-त्रिपुरा : 88) को दिनांक 10.04.2014 से एक वर्ष की अवधि के लिए मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग से उत्तराखंड संवर्ग में अंतर-संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के विस्तार को अनुमोदन प्रदान करती है।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2014

सं. 39019/01/2014-स्था. (ख)---राष्ट्रपति, प्रो. हेम चंद्र गुप्ता को दिनांक 15 मई, 2014 (पूर्वाह्न) से छह वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक के लिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं।

यू. एस. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय
कार्यालय प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2014

सं. डी।।।।/460/सीएफ-65/2013---भारत के राष्ट्रपति मुंबई में इथोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रधान कौंसल के रूप में श्री मैसफिन गेबरेमरियम शावो की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री मैसफिन गेबरेमरियम शावो के कौंसली क्षेत्राधिकार में मुंबई शहर होगा, जिसका केंद्र मुंबई होगा।

संजीव खंडूरी, प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

दिनांक 12 मई 2014

सं. डी।।।।/460/सीएफ54-/2012--- भारत के राष्ट्रपति ने 14 मार्च, 2013 से मुम्बई में आस्ट्रेलिया के प्रधान कौंसल के रूप में श्री मार्क थॉमस पीयर्स की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। विदित हो श्री मार्क थॉमस पीयर्स के सेशोधित कौंसली कार्य क्षेत्र में महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा राज्य शामिल होंगे जिनका मुख्य केन्द्र मुम्बई होगा।

संजीव खंडूरी, उप प्रमुख प्रोटोकॉल (एफ)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2014

शुद्धिपत्र

सं. ए-19011/313/2011-स्थापना----श्री वी. शिवकुमारन की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) के पद पर नियुक्ति के संबंध में भारत के राजपत्र भाग I, खंड 2 में दिनांक 20.01.2012 को प्रकाशित अधिसूचना के संबंध में।

2. अधिसूचना की अंतिम पंक्ति में नियुक्ति की तारीख को '17 अगस्त, 2011 के पूर्वाह्न से' के स्थान पर '16 नवम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से' पढ़ा जाए।

3. अधिसूचना की अन्य विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

विजय मल्होत्रा, अवर सचिव

दिनांक 26 मई 2014

सं. ए-19011/341/2013-स्थापना---राष्ट्रपति, श्री संगीत कुमार गांधी, अवर सचिव को 22 मई, 2014 के पूर्वाह्न से प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय में चयन ग्रेड (उप सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित सेवा शर्तों के अध्यधीन होगी:

- यह तदर्थ नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका सं. 4097/2011 (अरुण गौड़ बनाम गरिमा सिंह व अन्य), रिट याचिका सं. 4616/2011 (वी. एस. पाण्डेय तथा अन्य बनाम गरिमा सिंह व अन्य), रिट याचिका सं. 7619/2011 (संघ लोक सेवा आयोग बनाम गरिमा सिंह व अन्य), रिट याचिका सं. 2176/2012 (भारत संघ बनाम गरिमा सिंह व अन्य) तथा अन्य संबंधित रिट याचिकाएं रिट याचिका (सिविल) 2523/2012 (भारत संघ बनाम अनन्त किशोर सरन), रिट याचिका (सिविल) 2524/2012 (भारत संघ बनाम शेरशाह व अन्य), रिट याचिका (सिविल) 2525/2012 (भारत संघ बनाम सैय्यद इराम रिजवी व अन्य), रिट याचिका (सिविल) 2526/2012 (भारत संघ बनाम संदीप कुमार गुप्ता), रिट याचिका (सिविल) 2527/2012 (भारत संघ बनाम सौम्य चट्टोपाध्याय तथा अन्य) और उच्चतम न्यायालय में लंबित विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 9653/2012 (सैयद इकराम रिजवी तथा अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में न्यायालय के अंतिम परिणाम तथा साथ ही किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी अन्य संबद्ध मामलों में किसी अन्य आदेश के अध्यधीन होगी।
- तदर्थ नियुक्ति अधिकारी को उप सचिव ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा ग्रेड में नियमित पदोन्नति हेतु चयन सूची में शामिल होने अथवा ग्रेड में वरिष्ठता के उद्देश्य हेतु का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- तदर्थ पदोन्नति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकेगा।

विजय मल्होत्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2014

सं. 7/2/2014-डीआरटी---बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 11 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, न्यायमूर्ति ए. अरुमुघास्वामी, न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय को 28 अप्रैल, 2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

एम. के. मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2014

सं. 7/2/2012-डीआरटी---बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री पी. के. रामास्वामी अय्यर, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-I, चेन्नै को अगले आदेश होने तक, अपने कार्यभार के अलावा ऋण वसूली - अधिकरण-III, चेन्नै के पीठासीन अधिकारी के कार्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2014

सं. ए-19011/770/2011-स्था. I----कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.05.2014 के का.ज्ञा.सं. 13/5/2011-ईओ (एसएम-I) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा इस विभाग की दिनांक 30.05.2011 की अधिसूचना सं. सं. ए-12022/1/2010-स्था. I के क्रम में औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर सुश्री शुभा सिंह, आईएस (राजस्थान:89) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि को 04.10.2015 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 12 मई 2014

सं. ए-12022/01/2013-स्था. I----राष्ट्रपति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.04.2014 के आदेश सं. 4/2/2013- सीएस-I (डी)(पार्ट) के अनुसार क्रमावर्ती नीति (रोटेशन पॉलिसी) के तहत श्री जी. आर. राघवेन्द्र को उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उनके स्थानांतरण के परिणामस्वरूप दिनांक 12.05.2014 (पूर्वाह्न) से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2014

I- ,&12022/22/2013-स्था.: राष्ट्रपति, श्रीमती किरण सोनी गुप्ता, आईएस (राजस्थान:85) को, वस्त्र मंत्रालय के अधीन वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई में वस्त्र आयुक्त के पद पर 37,400-67,000/- रुपए (पे-बैंड 4) + 10,000/- रुपए (ग्रेड पे) के वेतनमान में पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

इंद्रजीत सिंह, निदेशक

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 2014

सं. ए-22011/7/2012-स्था.—राष्ट्रपति, श्री रॉबर्ट चार्ल्स टली को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में दिनांक 25 फरवरी, 2014 की पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में श्री टली की तदर्थ नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.02.2014 के आदेश संख्या 4/3/2013-सीएस-I (डी) के पैरा-3 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

जितेश जॉन, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 2014

सं. ए-22011/11/2013-स्था.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (संयुक्त वरिष्ठता सूची सं. 600) के नियमित सहायक श्री हेतराम शर्मा को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 30.06.2014 तक नियुक्त करते हैं।

एल हौकिप, निदेशक

दिनांक 28 अप्रैल 2014

सं. ए-11016/2/2010—स्था. राष्ट्रपति, श्री संजीव कुमार, सहायक निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ समय वेतनमान) को उप निदेशक (भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ समय वेतनमान) के रूप में 24.04.2014 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एल. हौकिप, निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 2 मई 2014

सं. ए-19018/35/2002—स्थापना—I—राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संशोधित लचीली मानार्थ योजना (एफ सी एस) के अंतर्गत यथा-स्थाने आधार पर डॉ. पी. के. दत्ता को 24 अप्रैल, 2014 को पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक वेतन बैंड-4 (पीबी-4) में रु. 37,400—67,000/- + रु. 8,900/- (ग्रेड वेतन) में वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

सं. ए-19018/36/2006—स्थापना—I—राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संशोधित लचीली मानार्थ योजना (एफ सी एस) के अंतर्गत यथा-स्थाने आधार पर डॉ. (श्रीमती) सुजाता चकलानोबिस को 24 अप्रैल, 2014 को पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक वेतन बैंड-4 (पीबी-4) में रु. 37,400—67,000/- + रु. 8,900/- (ग्रेड वेतन) में वैज्ञानिक 'एफ' के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अक्टूबर 2013

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' में नियुक्ति।

सं. 7-01/2011-एसईए-I—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011 के आधार पर श्री राकेश रंजन (रैंक नं. 515) (सामान्य) को भारतीय डाक व दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा समूह 'क' के कनिष्ठ समयमान में 15,600—39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (वेतनबैंड-3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) वे नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान, उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं, जैसी भी स्थिति हो।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।

- (iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।
 - (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
 - (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिप्राति करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
 - (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
 - (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संगत नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।
2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अधीन होगी।
 - 3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अधीन होगी।
 - 3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।
 4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उसे यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो वह महाप्रबंधक, एनआईसीएफ, दूरसंचार विभाग, गाजियाबाद को रिपोर्ट करेगा/करेगी। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालता/संभालती है तो यह नियुक्ति प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।
 5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं, उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी.एम. शर्मा, सहायक निदेशक (एसईए-1)

सेवा में

श्री राकेश रंजन

पुत्र श्री अशोक कुमार राय,

प्लेट सं. 102, फेज 2, आकांक्षा अपार्टमेंट,

निकट कडगरा बस स्टैंड

कांटाटोली रांची, झारखंड,

कोड-834001

दिनांक 26 दिसम्बर 2013

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” की नियुक्ति।

सं. 7-01/2012-एसईए-।---राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 के आधार पर श्री शंकरा नन्द मिश्रा (रैंक नं. 375) (सामान्य) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह क के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड 3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं:-

- (i) यह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
 - (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अधीन होगी।
 - (iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।
 - (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
 - (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
 - (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
 - (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।
2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अधीन होगी।
- 3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अधीन होगी।
- 3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उन्हें यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उनके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालते/संभालती हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा।
5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी.एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में,
श्री शंकरानन्द मिश्रा,
एफ-127, प्रथम तल,
गांधी विहार, नई दिल्ली-110009

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" की नियुक्ति।

सं. 7-01/2012-एसईए-1-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 के आधार पर श्री प्रीतिन्दर सिंह पाडा (रैंक नं. 401) (सामान्य) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह क के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड 3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) यह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अधीन होगी।
- (iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी की यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।
- (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
- (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
- (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।

- (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।
2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।
- 3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।
- 3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।
4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उन्हें यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उनके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालते/संभालती हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा।
5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी.एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में,

श्री प्रीतिन्दर सिंह पाडा

ई-124, रणजीत एवेन्यु, अमृतसर,

पंजाब-143001

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" की नियुक्ति।

सं. 7-01/2012-एसईए-1----राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 के आधार पर श्री अनुराग श्रीवास्तव (रैंक नं. 451) (सामान्य) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह क के कनिष्ठ समयमान में 15,600--39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड 3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) यह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते

- किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।
- (iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी की यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवत है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।
 - (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
 - (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
 - (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
 - (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।
2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अध्यधीन होगी।
 - 3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।
 - 3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।
 4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उन्हें यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उनके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालते/संभालती हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा।
 5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी.एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में,

श्री अनुराग श्रीवास्तव

कमरा नं० 123, लोहित हास्टल,

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" की नियुक्ति।

सं. 7-01/2012-एसईए-1----राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 के आधार पर श्री नीरज कुमार जादौन (रैंक नं. 546) (सामान्य) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह क के

कनिष्ठ समयमान में 15,600–39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान (पे बैंड 3) में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) यह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
 - (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पति/पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पति/पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अधीन होगी।
 - (iii) महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की घोषणा प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन की जाएगी कि यदि उसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी एक पत्नी जीवित है, से विवाह किया है तो यह नियुक्ति इस संबंध में निर्धारित शर्तों के लागू होने से उसे प्रदान की गई छूट की शर्त के अधीन होगी।
 - (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
 - (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
 - (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
 - (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।
2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि कर दिए जाने के अधीन होगी।
 - 3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अधीन होगी।
 - 3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी भेदभाव के तत्काल रद्द किया जा सकता है।
 4. इस प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में इस विभाग को निश्चित रूप से सूचित किया जाए। यदि उन्हें यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार्य हो तो उनके द्वारा महाप्रबंधक (प्रशिक्षण एवं वित्त) दूरसंचार विभाग एनआईसीएफ, गाजियाबाद को रिपोर्ट की जाए। यदि वह इस नियुक्ति प्रस्ताव के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर अपना कार्यभार नहीं संभालते/संभालती हैं तो यह नियुक्ति प्रस्ताव व्यपगत हो जाएगा।

5. अभ्यर्थी जो बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हो गए हैं उन्हें उनके बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल होने की तारीख से सेवा में माना जाएगा।

बी.एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में,
श्री नीरज कुमार जादौन,
178-1-सी, प्रथम तल,
8वां मेन सदानन्द नगर,
एनजीईएफ लेआउट, बेंगलुरु,
कर्नाटक-560038

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” में नियुक्ति ।

सं. 07-01/2012-एसईए-1----राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 आधार पर श्री अमानउल्लाह टाक (रैंक 572) (सामान्य श्रेणी) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” के कनिष्ठ समयमान में वेतन बैंड-3 के 15,600–39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।
- (iii) महिला उम्मीदवार की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी कि यदि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी जीवित है तो यह नियुक्ति तत्संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।
- (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
- (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
- (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
- (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संबंधित नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।

2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है और यह नियुक्ति (i) संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि करने के अध्यक्षीन होगी।
- 3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यक्षीन होगी।
- 3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के तत्काल रद्द किया जा सकता है।
4. इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना हर हालत में दें। यदि वह नियुक्ति की यह पेशकश स्वीकार करते हैं तो महानिदेशक, एनआईसीएफ, दूरसंचार विभाग, गाजियाबाद को रिपोर्ट करें। यदि वह इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पेशकश रद्द हो जाएगी।
5. वे उम्मीदवार जो बुनियादी पाठ्यक्रम में भाग ले चुके हैं उन्हें बुनियादी पाठ्यक्रम में उनके भाग लेने की तिथि से सेवा में माना जाएगा।

बी.एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में,

श्री अमानउल्लाह टाक

मकान नं० 413

रेजिडेंसी रोड, नजदीक जहांगीर होटल,

कच्ची चवन्नी जम्मू

जम्मू एवं कश्मीर-180001

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" में नियुक्ति।

सं. 07-01/2012-एसईए-1----राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 आधार पर श्री रवि मोहन सैनी (रैंक 673) (अन्य पिछड़ा वर्ग) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में वेतन बैंड-3 के 15,600-39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यक्षीन होगी।

- (iii) महिला उम्मीदवार की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन होगी कि यदि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी जीवित है तो यह नियुक्ति तत्संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यक्षीन होगी।
 - (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
 - (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
 - (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
 - (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संबंधित नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।
2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है और यह नियुक्ति इन बातों के अध्यक्षीन होगी (i) जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि करना (ii) जाति प्रमाणपत्र उचित माध्यम द्वारा सत्यापित किया गया हो और यदि सत्यापन में उम्मीदवार का यह दावा कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखता है या नवोन्नत वर्ग से संबंध नहीं रखता है, जैसा भी मामला हो, झूठा साबित होता है तो उसकी सेवाओं को बिना किसी कारण बताए और बिना किसी पूर्वाग्रह के समाप्त कर दिया जाएगा तथा झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
- 3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यक्षीन होगी।
- 3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के तत्काल रद्द किया जा सकता है।
4. इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना हर हालत में दें। यदि वह नियुक्ति की यह पेशकश स्वीकार करते हैं तो महानिदेशक, एनआईसीएफ, दूरसंचार विभाग, गाजियाबाद को रिपोर्ट करें। यदि वह इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पेशकश रद्द हो जाएगी।
5. वे उम्मीदवार जो बुनियादी पाठ्यक्रम में भाग ले चुके हैं उन्हें बुनियादी पाठ्यक्रम में उनके भाग लेने की तिथि से सेवा में माना जाएगा।

बी.एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में,

श्री रवि मोहन सैनी

मकान नं० 230, लोधी का बास

ऑपोजिट सुनिल नर्सिंग होम, नया बास, अलवर,

राजस्थान-301001

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” में नियुक्ति ।

सं. 07-01/2012-एसईए-1----राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 आधार पर श्री अरूण कुमार (रैंक 717) (अन्य पिछड़ा वर्ग) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” के कनिष्ठ समयमान में वेतन बैंड-3 के 15,600-39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
 - (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।
 - (iii) महिला उम्मीदवार की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी कि यदि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी जीवित है तो यह नियुक्ति तत्संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।
 - (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
 - (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
 - (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
 - (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संबंधित नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।
2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है और यह नियुक्ति इन बातों के अध्यधीन होगी (i) जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि करना (ii) जाति प्रमाणपत्र उचित माध्यम द्वारा सत्यापित किया गया हो और यदि सत्यापन में उम्मीदवार का यह दावा कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखता है या नवोन्नत वर्ग से संबंध नहीं रखता है जैसा भी मामला हो, झूठा साबित होता है तो उसकी सेवाओं को बिना किसी कारण बताए और बिना किसी पूर्वाग्रह के समाप्त कर दिया जाएगा तथा झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
- 3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।
- 3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तनयात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की

गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के तत्काल रद्द किया जा सकता है।

4. इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना हर हालत में दें। यदि वह नियुक्ति की यह पेशकश स्वीकार करते हैं तो महानिदेशक, एनआईसीएफ, दूरसंचार विभाग, गाजियाबाद को रिपोर्ट करें। यदि वह इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पेशकश रद्द हो जाएगी।
5. वे उम्मीदवार जो बुनियादी पाठ्यक्रम में भाग ले चुके हैं उन्हें बुनियादी पाठ्यक्रम में उनके भाग लेने की तिथि से सेवा में माना जाएगा।

बी.एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में,

श्री अरूण कुमार,

शिवा नगर

ऑपोजिट, शिवा पलोर मिल

कठुआ, जम्मू एवं कश्मीर-184101

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह क में नियुक्ति।

सं. 07-01/2012-एसईए-1----राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 आधार पर श्री बाला सुब्रमणियन (रैंक 729) (अनुसूचित जाति) [ओएल] को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह "क" के कनिष्ठ समयमान में वेतन बैंड 3 के 15,600-39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।
- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।
- (iii) महिला उम्मीदवार की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी कि यदि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी जीवित है तो यह नियुक्ति तत्संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।
- (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
- (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।

- (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
- (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संबंधित नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।
2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है और यह नियुक्ति इन बातों के अध्यधीन होगी (i) जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि करना (ii) जाति प्रमाणपत्र उचित माध्यम द्वारा सत्यापित किया गया हो और यदि सत्यापन में उम्मीदवार का यह दावा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखता है, जैसा भी मामला हो, झूठा साबित होता है तो उसकी सेवाओं को बिना किसी कारण बताए और बिना किसी पूर्वाग्रह के समाप्त कर दिया जाएगा तथा झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
- 3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।
- 3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के तत्काल रद्द किया जा सकता है।
4. इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना हर हालत में दें। यदि वह नियुक्ति की यह पेशकश स्वीकार करते हैं तो महानिदेशक, एनआईसीएफ, दूरसंचार विभाग, गाजियाबाद को रिपोर्ट करें। यदि वह इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पेशकश रद्द हो जाएगी।
5. वे उम्मीदवार जो बुनियादी पाठ्यक्रम में भाग ले चुके हैं उन्हें बुनियादी पाठ्यक्रम में उनके भाग लेने की तिथि से सेवा में माना जाएगा।

बी.एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में,
श्री बाला सुब्रमणियन,
सहायक प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
पांडिचेरी विश्वविद्यालय,
काला पेट, पांडिचेरी-606014

विषय : सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 के परिणाम के आधार पर भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” में नियुक्ति।

सं. 07-01/2012-एसईए-1----राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 आधार पर सुश्री पंकी बास्के (रैंक 859) (अनुसूचित जन जाति) को भारतीय डाक व तार लेखा एवं वित्त सेवा समूह “क” के कनिष्ठ समयमान में वेतन बैंड-3 के 15,600–39,100/- + 5,400/- रु. के वेतनमान में निम्नलिखित शर्तों पर अनंतिम रूप से नियुक्त करते हैं :-

- (i) वह नियुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि के दौरान उन्हें उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा और परीक्षाएं देनी होंगी जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि के भीतर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उन्हें यथास्थिति या तो सेवामुक्त कर दिया जाएगा या उस मूल पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस पद पर वे लियन पर हैं।

- (ii) इस नियुक्ति से पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि यदि उनके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, या एक पत्नी के जीवित रहते उन्होंने विवाह किया है और यह विवाह पत्नी के रहते किए जाने के कारण अमान्य करार दिया हो तो यह नियुक्ति इन संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।
 - (iii) महिला उम्मीदवार की नियुक्ति निर्धारित प्रपत्र पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी कि यदि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी जीवित है तो यह नियुक्ति तत्संबंधी शर्तों के लागू होने से उन्हें दी गई छूट के अध्यधीन होगी।
 - (iv) यह नियुक्ति नजदीकी रिश्तेदारों के बारे में एनआईसीएफ द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र पर सूचना प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी। प्रपत्र में दिए गए ब्यौरे में किसी प्रकार के परिवर्तन को प्रत्येक वर्ष के अंत में सूचित करना होगा।
 - (v) विहित प्रपत्र पर इस आशय की सत्यनिष्ठ अभिपुष्टि करने के लिए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा/ईमानदारी की शपथ लेना।
 - (vi) उक्त नियुक्ति के तहत अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में तैनात किया जा सकता है।
 - (vii) सेवा की अन्य शर्तें उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए संबंधित नियमों और आदेशों द्वारा अभिशासित होंगी।
2. नियुक्ति की यह पेशकश अनंतिम है और यह नियुक्ति इन बातों के अध्यधीन होगी (i) जो संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग द्वारा चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन की पुष्टि करना (ii) जाति प्रमाणपत्र उचित माध्यम द्वारा सत्यापित किया गया हो और यदि सत्यापन में उम्मीदवार का यह दावा कि वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंध रखता है, जैसा भी मामला हो, झूठा साबित होता है तो उसकी सेवाओं को बिना किसी कारण बताए और बिना किसी पूर्वाग्रह के समाप्त कर दिया जाएगा तथा झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
 - 3(क) यदि उनके मामले में सिविल सेवा परीक्षा नियमावली के नियम 20 के तहत यथापरिकल्पित जांच लंबित है तो सेवा में उनकी नियुक्ति उनके चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई इस जांच के आधार पर उनके योग्य पाए जाने के अध्यधीन होगी।
 - 3(ख) यदि किसी भी समय उनकी योग्यता के संबंध में उनके द्वारा भेजा गया कोई भी प्रमाणपत्र या दस्तावेज ठीक नहीं पाया जाता है अथवा उनकी योग्यता के संबंध में कोई भी सूचना/तथ्यात्मक सामग्री छुपाई गई है/गलत प्रस्तुत की गई है, तो संगत नियमों के अधीन उनकी नियुक्ति को किसी अन्य दंडात्मक कार्रवाई के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के तत्काल रद्द किया जा सकता है।
 4. इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना हर हालत में दें। यदि वह नियुक्ति की यह पेशकश स्वीकार करते हैं तो महानिदेशक, एनआईसीएफ, दूरसंचार विभाग, गाजियाबाद को रिपोर्ट करें। यदि वह इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पेशकश रद्द हो जाएगी।
 5. वे उम्मीदवार जो बुनियादी पाठ्यक्रम में भाग ले चुके हैं उन्हें बुनियादी पाठ्यक्रम में उनके भाग लेने की तिथि से सेवा में माना जाएगा।

बी.एम. शर्मा, सहायक महानिदेशक (एसईए)

सेवा में,
सुश्री पंकी बास्के,
मकान नं. 23, क्रॉस रोड 13,
एग्रीको जमशेदपुर, झारखंड-831009

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 17 जनवरी 2014

सं. ईआरबी-I/2014/2/1—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के प्रमुख निजी सचिव (पीपीएस) ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- के पे बैंड-3 में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (सीनियर पीपीएस) ग्रेड में पदोन्नत किया गया है :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यभार संभालने की तारीख
1.	डी. आर. चौधरी	07.03.2012 (पूर्वाहन)
2.	सुश्री शशि सूद	01.01.2014 (पूर्वाहन)
3.	ए. गोपालकृष्णन	01.01.2014 (पूर्वाहन)
4.	सुश्री एस. बी. गांधी	01.01.2014 (पूर्वाहन)

एच. के. जग्गी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2014

सं. ईआरबी-I/2014/2/1—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) की वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, सुश्री गीता शर्मा को 07.04.2014 के पूर्वाहन से पे बैंड-4, रु. 37,400-67,000/- + ग्रेड पे रु. 8,700/- में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के प्रमुख स्टाफ अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नत किया गया है।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सं. ईआरबी-I/2014/2/1—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) की प्रमुख निजी सचिव, सुश्री अनिता मल्होत्रा को 31.03.2014 के पूर्वाहन से पे बैंड-3, रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव के ग्रेड में पदोन्नत किया गया है।

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 19 मई 2014

सं. ईआरबी-I/2013/14/31—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के निम्नलिखित निजी सहायकों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से तदर्थ आधार पर रु. 9,300-34,800/- + ग्रेड पे रु. 4,800/- के पे बैंड-2 में आरबीएसएसएस के निजी सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया है :—

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम (सर्वश्री/सुश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	विनोद कुमार चौहान	08.05.2014 (पूर्वाहन)
2.	इन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया	08.05.2014 (पूर्वाहन)
3.	लाल मनी पाल	08.05.2014 (पूर्वाहन)

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम (सर्वश्री/सुश्री)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
4.	विजय कुमार	08.05.2014 (पूर्वाह्न)
5.	एन. नजीरुद्दीन	08.05.2014 (पूर्वाह्न)
6.	संगीता चट्टा	08.05.2014 (पूर्वाह्न)

पी. सी. गजभिये, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अप्रैल 2014

सं. ई(जी.पी.)2012/3/5 (कार्मिक)—इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.11.2013 जिसके तहत भारतीय रेलों के कार्मिक विभाग के ग्रुप-बी अधिकारियों की 03.09.2013 से भारतीय रेल कार्मिक सेवा (आई.आर.पी.एस.) के ग्रुप-ए/कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति की गई थी, में आंशिक आशोधन करते हुए पूर्व मध्य रेलवे के श्री एम.एम.मिर्जा की 2012-13 के पैनल में नियुक्ति को रद्द माना जाए।

सुमन शर्मा, निदेशक, स्था. (राज. पदो.)
(रेलवे बोर्ड)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 मई 2014

सं. 3/4/2013/प्रशा.1—इस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 09.05.2014 के आदेश के अनुसरण में श्री अनिल कुमार को वैज्ञानिक “बी” (रु. 15,600-39,100/- के वेतन बैंड में रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन) से वैज्ञानिक “सी” (रु. 15,600-39,100/- के वेतन बैंड में रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन) के पद पर दिनांक 01.05.2014 से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में पदोन्नत किया जाता है।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

सं. 3/4/2013/प्रशा.1—इस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 09.05.2014 के आदेश के अनुसरण में श्री सीता राम मीणा को वैज्ञानिक “बी” (रु. 15,600-39,100/- के वेतन बैंड में रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन) से वैज्ञानिक “सी” (रु. 15,600-39,100/- के वेतन बैंड में रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन) के पद पर दिनांक 05.05.2014 से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में पदोन्नत किया जाता है।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2014

सं. 13/2014 प्रशासन, फाईल सं. ए 19011/2/2014-प्रशासन.---राष्ट्रपति, डा. अमरजीत सिंह, आई.ए.एस (गुजरात :1982) को 67,000-79,000/- रूपए के वेतनमान में 30 अप्रैल, 2014 के अपराह्न से जल संसाधन मंत्रालय में अपर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल.पी.शर्मा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2014

सं. ए-120125/1/2012-आईआईएस/185---सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से वेतन बैंड 15,600-39,100/- रु. और ग्रेड वेतन 5,400/- रु. में भारतीय सूचना सेवा के कनिष्ठ ग्रेड समूह 'क' में नियुक्त करते हैं और उन्हें अगले आदेशों तक निम्नलिखित मीडिया एकांकों में तैनात किया जाता है :—

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम और सीएसई वर्ष	रैंक सं.	नियुक्ति की तारीख	तैनाती का स्थान
1.	श्री आशुतोष मोहले (सीएसई 2012)	570	13.12.2013	एनएसडी-एआईआर, नई दिल्ली
2.	श्री जोयस फिलिप (सीएसई 2012)	632	02.09.2013	एनएसडी-एआईआर, नई दिल्ली
3.	श्री प्रणय सिंह (सीएसई 2012)	959	13.12.2013	डीडीएन, नई दिल्ली

2. उपर्युक्त अधिकारी भारतीय सूचना सेवा के कनिष्ठ ग्रेड, समूह 'क' में नियुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा के अधीन होंगे।

नीरज कुमार, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 011, the 15th May 2014

No. A-22012/1/2014-PME--The President is pleased to extend the tenure on Central Deputation of Shri Dheeraj Gupta, IAS (JK:93), Joint Secretary in the Prime Minister's Office beyond 30th June, 2014 for a period upto 31st July, 2015.

2. Consequent upon his appointment as Adviser (Joint Secretary level) in the Planning Commission, Shri Dheeraj Gupta, IAS (JK:93) has relinquished the charge of the post of Joint Secretary in the Prime Minister's Office with effect from the afternoon of 15th May, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 16th May 2014

No. A. 22017/2/2014-PME--Consequent upon her appointment to the post of Deputy Secretary in Department of Commerce, Smt. Himani Sarad (IIS : 2002), Additional Private Secretary to the Prime Minister, has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 16th May, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

No. A. 22017/01/2009-PMA--Consequent upon his appointment as Senior Adviser to Executive Director (JS level) in the International Monetary Fund (IMF), Washington D.C., Shri Indu Shekhar Chaturvedi, IAS (JH : 87) has relinquished the charge of the post of Private Secretary to Prime Minister with effect from the afternoon of 16th May, 2014.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 20th May 2014

No. A. 22012/1/2014-PME--Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2009 of Under Secretary vide DoPT's O.M. No.5/11/2011-CS.I(U) dated 13.5.2014, the President is pleased to appoint Shri P.K. Bali of CSS as regular Under Secretary in the Prime Minister's Office w.e.f. the forenoon of 13th May, 2014.

2. The above appointment is subject to the final outcome in O.A. No.611/2012 titled "P.S. Bhandari & Ors. Vs. UoI & Ors." in terms of CAT, PB, New Delhi's interim order dated 24.2.2012 and any other order by any competent court in any of the connected matters.

R. MYTHILI, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 2nd January 2014

No. RS/6/4/2013/106-Perl.--The services of Smt. Vatsala Joshi as Senior Private Secretary in the personal staff of *former* Chairperson, Committee on Subordinate Legislation (Smt. Maya Singh) stand terminated w.e.f. the forenoon of 23rd December, 2013.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

No. RS/6/4/2013/107-Perl.--Smt. Vatsala Joshi has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of Chairperson, Committee on Subordinate Legislation (Dr. Najma Heptulla) on deputation & co-terminus basis in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 23rd December, 2013 and until further orders.

2. The appointment of Smt. Vatsala Joshi is at the discretion of the present Chairperson, Committee on Subordinate Legislation and will be co-terminus with the term of her office.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir

The 26th February 2014

No. RS.3/1/1/2014/4-Perl.--The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Assistant Director in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 6th February, 2014 and until further orders :-

1. Shri Sreejith V.
2. Shri Ujjwal Kumar

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

No. RS.3/2/1/2014/6-Perl.--The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Vandana Singh, Assistant Director (LARRDIS) in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Deputy Director (LARRDIS) in the Pay Band-3 of Rs.15,600-39,100 + Grade Pay of Rs.7,600, plus usual allowances as admissible under the rules, on regular basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 26th February, 2014 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 27th February 2014

No. RS. 3/4/1/2014/7-Perl. --The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Jai Prakash Raniwal, Personal Assistant in the Rajya Sabha Secretariat, to officiate in the grade of Private Secretary on *in situ* basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs.15,600-39,100 + Grade Pay of Rs. 5,400 plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 11th February, 2014 and until further orders.

2. The above appointment shall be governed by the provisions contained in the Scheme of *in situ* promotion notified vide R&CS Order No. 5/2009 dated 26th November, 2009.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

No. RS.3/6/1/2014/8-Perl. --The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Vinod Kumari, Senior Printing Assistant in the Rajya Sabha Secretariat, to officiate in the grade of Printing Officer on *in situ* basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs.15,600-39,100 + Grade Pay of Rs. 5,400 plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 28th January, 2014 and until further orders.

2. The above appointment shall be governed by the provisions contained in the Scheme of *in situ* promotion notified vide R&CS Order No. 5/2009 dated 26th November, 2009.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 6th March 2014

No. RS. 3/2/1/2014/11-Perl.--The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Prabita Khoyumthem, Research Assistant in the Rajya Sabha Secretariat as Research Officer on regular basis in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 6th March, 2014 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 10th March 2014

No. RS.3/1/1/2014/12-Perl.--Shri Rajiv Saxena, who was earlier appointed to the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat on *in situ* basis vide Notification No. RS.3/1(1)2011/29-Perl. dated 30th March 2011, stands adjusted against a regular vacancy in the said grade with effect from the forenoon of 7th March, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 18th March 2014

No. RS/3/7/2014/15-Perl.--The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Kalisaran Budakoti, Assistant Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Deputy Director (E&T) in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600--39100 + Grade Pay of Rs. 7,600/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 13th March, 2014 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 28th March 2014

No. RS.3/1/1/2014/17-Perl.--The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Assistant Director in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 08th March, 2014 and until further orders :-

1. Shri Pritam Kumar
2. Shri Rajiv Saxena

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 2nd April 2014

No. RS.3/1/1/2014/18-Perl.--The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Vinoy Kumar Pathak, Assistant Director in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Deputy Director in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600-39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 1st April, 2014 and until further orders.

2. He would rank senior to Shri Brij Mohan Singh Rana in the grade of Deputy Director.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 15th April 2014

No. RS.3/1/1/2014/19-Perl.--Shri Anurag Ranjan, who was earlier appointed to the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat on *in situ* basis *vide* Notification No. RS.3/1(1)2011/110-Perl. dated 23rd November, 2011, stands adjusted against a regular vacancy in the said grade with effect from the forenoon of 09th April, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 17th April 2014

No. RS.3/7/2014/21-Perl.--The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, Translator in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Editor in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 16th April, 2014 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 21st April 2014

No. RS.42/2/2014/22-Perl. --On being relieved from the post of Executive Officer in Rajya Sabha Television, Shri Arun Bakshi, Executive Officer (*in situ*) has resumed duties in this Secretariat w.e.f. the afternoon of 17th April, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 22nd April 2014

No. RS.3/1/1/2014/23-Perl.--The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Deputy Director in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Joint Director in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600-39,100/- + Grade Pay of Rs. 8,000/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 19th March, 2014 and until further orders :-

1. Shri Girija Shankar Prasad
2. Shri Narendra Kumar

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 5th May 2014

No. RS/42/5/2014/27-Perl.--Consequent upon his being relieved from the post of Private Secretary in the personal staff of Minister of Minority Affairs (Shri K. Rahman Khan), Shri Badruddin, Joint Director (PSSS) has resumed duties in this Secretariat w.e.f. the forenoon of 2nd May, 2014.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 6th May 2014

No. RS.3/4/1/2014/30-Perl.--The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Kum. Madhu Sharma, Deputy Director (PSSS) in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Joint Director (PSSS) in that Secretariat in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 8,000/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis with effect from the forenoon of 27th April, 2014 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

No. RS.3/4/1/2014/31-Perl.--The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Jain, Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Deputy Director (PSSS) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- plus usual allowances as admissible under the rules on *in situ* basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 12th April, 2014 and until further orders.

2. The above appointment shall be governed by the provisions contained in the Scheme of *in situ* promotion notified vide R&CS Order No.5/2009 dated 26th November, 2009.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

No. RS.3/7/2014/29-Perl.--The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Chandra Shekhar Mishra, Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat, to the grade of Joint Secretary (E&T) in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- plus usual allowances as admissible under the rules on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 05th May, 2014 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 8th May 2014

No. RS.46/2013/32-Perl.--On being relieved from the post of Employment Officer (V.G.) in Directorate of Employment and Craftsmen Training, Department of Labour and Employment, Government of Assam, Rehabari, Guwahati, Smt. Barnali Goswami has been appointed as Executive Officer in the Rajya Sabha Television on deputation basis in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 07th May, 2014 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 12th May 2014

No. RS.3/7/2014/34-Perl.--Smt. Sulakshana Sharma, who was earlier appointed to officiate as Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat on *ad hoc* basis *vide* Notification No. RS/3/7/2012/79-Perl. dated 14th August, 2012, has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of the 09th May, 2014 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

New Delhi-110001, the 12th May 2014

No. RS.42/5/2014/33-Perl.--Shri Badruddin, Joint Director (PSSS) in the Secretariat, stands relieved of his duties in this Secretariat w.e.f. the forenoon of 12th May, 2014 and his services placed at the disposal of Ministry of Minority Affairs for his appointment as Executive Director, equivalent to the rank of Director in GOI in the pay scale of Pay Band-4 + Grade Pay of Rs.8700, in National Waqf Development Corporation (NAWADCO), a public limited company under the aegis of Ministry of Minority Affairs, on standard foreign service terms for a period upto 20.08.2017.

UJJWAL KUMAR, Asstt. Dir.

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 20th May 2014

No. A-19014/02/2009-Ad.--The President is pleased to appoint Dr. Chandra Jeet, as Deputy Director in the National Security Council Secretariat in the Pay band-3 of Rs.15,600—39100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- on fresh contract for a period of 5 years or until further orders whichever is earlier, with effect from the forenoon of 18.05.2014.

S. KAMESHWAR, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 231, the 19th May 2014

No.7/1(1)2014--I--The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2013 and until further orders:

Sl.No.	Name Shri/Smt./Kum.	Post from which promoted	Post to which promoted
1	P.V. Venkita Krishnan	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
2	Rajasekharan R.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
3	Philip T.M.	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
4	K. Kumar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
5	T.R. Harikumar	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
6	V. Viswanath	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
7	Lyjith K.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
8	Arun Kumar M.S.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
9	R. Sundaresan	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
10	R. Vijaya Kumar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
11	Vijay Singh	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
12	Sharmistha Choubey	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
13	P.V. Sasidharan	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No.7/1(1) 2014 – I : The President is pleased to appoint on promotion Shri. Priyan S.A., Sr. Technical Assistant-A as Scientist/Engineer-SC in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2011 and until further orders.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy

No.7/1(1)2014–I : The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2013 and until further orders :

Sl. No.	Name Shri/Smt./Kum.	Post from which promoted	Post to which promoted
1	Shaji K.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
2	Jayanarayanan M.	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
3	K. Kamatchi	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
4	V.P. Shaji	Scientist/Engineer-SF	Scientist/Engineer-SG
5	Y. Sathish	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
6	Mohan Lal B.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
7	Krishnadas P.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
8	Jijimon N.K.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
9	Rajeev Senan C.	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF
10	Sujith K. Rajan	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
11	Baiju Issac	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
12	Ajith B.	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
13	Lini K.S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
14	Shreejith T.V.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
15	V.J. Devasia	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
16	Kiran Mohan	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
17	Atul Rawal	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
18	Surendran Kunnoth	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
19	Harendra Kumar Singh	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
20	V.L. Josekutty	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
21	Deepak Dinesh	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
22	Sarath Mohan K.S.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
23	Venkata Sunil Sai N.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No.7/1(1) 2014–I--The President is pleased to appoint on promotion Shri. M.G. James, Scientist/Engineer-SF as Scientist/Engineer-G in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 07.01.2013 and until further orders.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

The 21st May 2014

No.2/1(1)2014-I : The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned persons to the posts mentioned against each in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each and until further orders :

Sl. No.	Name Shri/Smt/Kum	Post to which promoted	Date of Promotion
1.	Rakesh Shukla	Scientist/Engineer-SF	01.01.2014
2.	K. Raghavendra	Scientist/Engineer-SF	01.01.2014
3.	K.V. Bheemeswara Rao	Scientist/Engineer-SF	01.01.2014
4.	Deepthi Haridas	Scientist/Engineer-SE	01.01.2014
5.	T. Tirupathi	Scientist/Engineer-SC	01.01.2014
6.	Sumanta Kumar Patra	Scientist/Engineer-G	16.01.2014

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No.2/1(1)2014-I : The President is pleased to appoint kum. M. Rachana Reddy as Scientists/Engineers-SC in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space in temporary capacity with effect from the forenoon of 28.09.2012 and until further orders.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No.2/1(1)2014-I : The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned persons to the posts mentioned against each in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each and until further orders :

Sl. No.	Name Shri/Smt/Kum	Post to which promoted	Date of Promotion
1.	E. Vijay Kumar	Senior Accounts Officer	08.02.2013
2.	J. Vasanthi	Senior Purchase & Stores Officer	30.10.2013
3.	K. Malakondeswara Rao	Senior Accounts Officer	02.04.2014

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No.2/1(2)2014-I: The President is pleased to accept the resignation from service of Shri. T.N.C. Karthik, Scientist/Engineer-SC in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space with effect from the afternoon of 24.12.2013.

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION
NATIONAL RAINFED AREA AUTHORITY

New Delhi-110012, the 21st May 2014

No. 1-17/2013-NRAA—The President is pleased to appoint Dr. M. K. Srivastava as Director (Animal Husbandry & Fisheries) in the National Rainfed Area Authority, Planning Commission on deputation w.e.f. the forenoon of 01.08.2013 for two years in the pay scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 8,900/- (PB-4).

K. J. SINGH, Under Secy.

No. 1-27/2013-NRAA—The President is pleased to appoint Sh. Soraj Singh as Director (Agriculture & Horticulture) in the National Rainfed Area Authority, Planning Commission on deputation for three years with effect from 08.11.2013 in the basis pay scale of Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 8,900/- (PB-4).

K. J. SINGH, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110 001, the 19th May 2014

No.A-19/G-A/102: In continuation of the Commission's notification of even number dated 26.03.2013, the term of deputation of Shri. Salek Chand on the post of Library and Information Officer (LIO) in PB-3, Rs.15600-39100/-, with the corresponding Grade Pay of Rs.7600/-, in the Secretariat of Election Commission of India, is hereby extended on the existing terms and conditions, for a period of one year w.e.f. 04.03.2014 (A/N), or till further orders, whichever is earlier.

B. C. PATRA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 17th April 2014

No 12021/16/2011-OL(Impl.-I)--The President is pleased to appoint Shri Harish Singh Chauhan as Research Officer(Implementation) in the Regional Implementation Office under Department of Official Language, Ministry of Home Affairs on transfer (absorption) basis w.e.f. 25.10.2013 (FN).

RAJ KRISHAN BHORIA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 1st May 2014

No.13017/17/2009-AIS(I)--In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Tamil Nadu and Rajasthan the Central Govt. hereby accords approval for extension of inter cadre deputation of Shri Har Sahay Meena , IAS (TN:97) from Tamil Nadu cadre to Rajasthan cadre for a period of six months beyond 18.02.2014 i.e upto 17.08.2014.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

The 5th May 2014

No.13017/08/2012-AIS(I)--In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Manipur-Tripura and Uttarakhand the Central Govt. hereby accords approval for the extension of inter cadre deputation of Shri M H Khan, IAS (MT:88) from Manipur-Tripura cadre to Uttarakhand cadre for a further period of one year beyond 10.04.2014.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 20th May 2014

No. 39019/01/2014-Estt (B)--The President is pleased to appoint Prof. Hem Chandra Gupta as Member, Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 15th May, 2014, for a period of six years or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

U. S. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 28th April 2014

No. DIII/460/CF-65/2013—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Mesfin Gebremariam Shawo as the Consul General of the Federal Democratic Republic of Ethiopia in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Mesfin Gebremariam Shawo Comprises the territory of Mumbai, with the seat in Mumbai.

SANJEEV KHANDURI, Dy. Chief of Protocol (F)

The 12th May 2014

No. DIII/460/CF-54/2012—While the President of India has approved the appointment of Mr. Mark Thomas Pierce as Consul General of Australia in Mumbai with effect from 14 March, 2013; the revised consular jurisdiction of Mr. Mark Thomas Pierce will comprise of the States of Maharashtra, Gujarat and Goa with the seat in Mumbai.

SANJEEV KHANDURI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 30th April 2014

CORRIGENDUM

No. 19011/313/2011-Estt.--Refer to the Notification dated 20.01.2012 published in the Gazette of India, Part1, Section 2 in respect of appointment of Shri V. Sivakumaran, as Sr. PPS (Adhoc).

2. The date of appointment in the last line of the Notification may be read as “with effect from the forenoon 16th November, 2011” instead of “with effect from the forenoon of 17th August, 2011”.

3. The other contents of the notification will remain unchanged.

VIJAY MALHOTRA, Under Secy.

The 26th May 2014

No. A-19011/341/2013-Estt.--The President is pleased to appoint Shri Sangeet Kumar Gandhi, Under Secretary of the Department of Financial Services to the Selection Grade (Deputy Secretary) purely on ad-hoc basis in the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 22nd May 2014 initially for a period of one year or until further orders whichever is earlier:

2. The ad-hoc appointment will be subject to the following terms and conditions:-

- The ad-hoc appointment is subject to the final outcome of the pending Write Petition No. 4097/2011 (Arun Gaur Vs Garima Singh & Ors), W.P No.4616/2011(V.S. Pandey & Ors Vs. Garima Singh & Ors), W.P No. 7619/2011 (UPSC Vs Garima Singh & Ors), W.P No. 2176/2012 (Union of India Vs. Garima Singh & Ors) and other connected Writ Petitions Nos. W.P (C) 2523/2012 (Union of India Vs Anant Kishore Saran), W.P © 2524/2012 (Union of India Vs. Shersha and Anr), W.P. (C) 2525/2012 (Union of India Vs. Syed Eram Rizvi and Anr), W.P (C) 2526/2012 (Union of India Vs. Sandeep Kumar Gupta), W.P.(C) 2527/2012 (Union of India Vs. Soumya Chattopadhyay and Anr) in the High Court of Delhi and the SLP(C) No. 9653/2012 (Syed Ekram Rizvi and Ors Vs. Union of India & Ors) in the Supreme Court and also any other order by any competent court in any of the connected matters, apart from the above.

- The ad-hoc promotion shall not confer any right on the officer to continue in the grade of Deputy Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- The ad-hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

VIJAY MALHOTRA, Under Secy.

New Delhi, the 30th April 2014

No.7/2/2014 –DRT--In exercise of powers conferred by Section 9 read with Section 11 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government, hereby, appoints Justice A. Arumughaswamy, Judge, High Court Madras, as Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, for a period of Five years, with effect from 28th April, 2014 or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

M. K. MISHRA, Under Secy.

New Delhi, the 19th May 2014

No.7/2/2012-DRT--In exercise of powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby, authorizes Shri P K Ramaswamy Iyer, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-I, Chennai, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-III, Chennai till further orders in addition to his own charge.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 9th May 2014

No.A-19011/770/2011-E.I-- In continuation of this Department's Notification No.A-12022/1/2010-E.I dt. 30.05.11, the President is pleased to extend the Central Deputation period of Ms. Shubhra Singh, IAS(RJ:89) as Joint Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, for a period upto 04.10.2015 or until further orders, whichever is earlier, in accordance with DOPT's communication No.13/5/2011-EO(SM-I) dated 06th May, 2014.

L. K. SHARMA, Under Secy.

The 12th May 2014

No.A-12022/01/2013-E.I: The President is pleased to appoint Shri G.R. Raghavender as Director of the Central Secretariat Service (CSS) in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry with effect from 12.05.2014 (FN), consequent on his transfer from the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, under Rotation Policy vide DOPT's order No. 4/2/2013-CS.I(D)(pt) dated 29.04.2014.

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 16th May 2014

No.A-12022/22/2013-Estt.--The President is pleased to appoint Smt. Kiran Soni Gupta, IAS (RJ:85), as Textile Commissioner in the Office of the Textile Commissioner, Mumbai under the Ministry of Textiles, in the Pay Band-4 of Rs. 37,400--67,000 (PB:4) plus Grade Pay of Rs.10,000/- for a period of 5 years with effect from the date of assumption of charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

INDERJIT SINGH, Dir.

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 27th February 2014

No. A-22011/7/2012-Estt.--The President is pleased to appoint Shri Robert Charles Tully to Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on ad-hoc basis in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises with effect from the forenoon of 25th February, 2014 for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment of Shri Tully to Selection Grade of CSS is subject to the conditions stipulated in para 3 of Department of Personnel and Training's Order No. 4/3/2013-CS.I(D) dated 03.02.2014.

JITHESH JOHN, Dir.

New Delhi, the 25th April 2014

No.A-22011/11/2013-Estt.--The President is pleased to appoint Shri Het Ram Sharma, a regular Assistant of CSS (CSL No. 600) as Section Officer on adhoc basis with effect from 01.04.2014 till 30.06.2014 in the Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

L. HAOKIP, Dir.

The 28th April 2014

No. A-11016/2/2010-Estt.--The President is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar, Assistant Director(Junior Time scale of IES) as Deputy Director (Senior Time Scale of Indian Economic Service) with effect from 24.04.2014(F/N) until further orders.

L. HAOKIP, Dir.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 2nd May 2014

No. A-19018/35/2002-Estt.--The President is pleased to appoint Dr. P.K.Dutta as Scientist 'F' in the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400--67000/- + Rs. 8,900/- (GP) on in-situ basis under the Modified Flexible Complementing Scheme (FCS) with effect from the forenoon of 24th April, 2014 and until further orders.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

No. A-19018/36/2006-Estt.--The President is pleased to appoint Dr. (Mrs.) Sujata Chaklanobis as Scientist 'F' in the Department of Scientific and Industrial Research, Ministry of Science & Technology in the Pay Band (PB-4) of Rs. 37,400--67,000/- + Rs. 8,900/- (GP) on in-situ basis under the Modified Flexible Complementing Scheme (FCS) with effect from the forenoon of 24th April, 2014 and until further orders.

KULDIP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATION & IT

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATION)

New Delhi-110001, the 28th October 2013

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2011.

No. 7-01/2011-SEA-I--On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2011 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Rakesh Ranjan (Rank 515)(General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3, Rs.15,600--39,100/- +5400/- on the following terms:

[i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her

liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

[ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

[v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

[vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

[vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunication.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/ material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B.M. SHARMA, ADG [SEA-I]

To

Sh. Rakesh Ranjan,
S/o Sh. Ashok Kumar Roy,
Flat No. 102, Phase-2,
Aakansha Appt.,
Near Khadgarha Bus Stand
Kantatoli, Ranchi
Jharkhand
Pin-834001

The 26th December 2013

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2012.

No. 7-01/2012-SEA.I--On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2012 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Shankara Nand Mishra (Rank 375)(General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3, Rs. 15,600-39,100/- + 5400/- on the following terms:

[i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her

liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

[ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

[v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

[vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

[vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunication.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/ material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B.M. SHARMA, ADG [SEA-I]

To

Sh. Shankara Nand Mishra
F-127, First Floor
Gandhi Vihar
New Delhi-110009

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2012.

No. 7-01/2012-SEA.I--On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2012 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Preetinder Singh Padda (Rank 401)(General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3, Rs.15,600—39,100/- +5,400/- on the following terms:

[i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

[ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

[v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

[vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

[vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunication.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/ material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B.M. SHARMA, ADG [SEA-I]

To

Sh. Preetinder Singh Padda
E-124
Ranjit Avenue
Amritsar,
Punjab-143001

Sub:Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2012.

No. 7-01/2012-SEA.I--On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2012 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Anurag Srivastava (Rank 451)(General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3, Rs.15,600-39,100/- +5,400/- on the following terms:

[i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

[ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

[v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

[vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

[vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunication.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/ material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B.M. SHARMA, ADG [SEA-I]

To

Sh. Anurag Srivastava
Room No. 123 Lohit Hostel
Jawaharlal Nehru University
New Delhi-110067

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2012.

No. 7-01/2012-SEA.I--On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2012 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Neeraj Kumar Jadaun (Rank 546)(General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3, Rs.15,600--39,100/-+5,400/- on the following terms:

[i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

[ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

[v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

[vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

[vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunication.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/ material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B.M. SHARMA, ADG [SEA-I]

To

Sh. Neeraj Kumar Jadaun
178-1-C, First Floor,
8th Main Sadanand Nagar,
NGEF Layout, Bangalore,
Karnataka-560038

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2012.

No. 7-01/2012-SEA.I--On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2012 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Amanullah Tak (Rank 572)(General) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3, Rs.15,600-39,100/-+5,400/- on the following terms:

[i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

[ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

[v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

[vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

[vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunication.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/ material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B.M. SHARMA, ADG [SEA-I]

To

Sh. Amanullah Tak,
N. No. 413 Residency Road,
Near Jahangir Hotel
Kachi Chawani
Jammu
Jammu & Kashmir-180001

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2012.

No. 7-01/2012-SEA.I--On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2012 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Ravi Mohan Saini (Rank 673)(OBC) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3 Rs.15,600—39,100/-+5,400/- on the following terms:

[i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

[ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

[v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

[vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

[vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and (ii) the community certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim of the candidate to belong to OBC or not to belong to creamy layer is false, his/ her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Panel Code for production of false certificates.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/ material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B.M. SHARMA, ADG [SEA-I]

To

Sh. Ravi Mohan Saini
H. No. 230, LODHI KA BASS
Opp. Sunil Nursing Home,
Naya BASS
Alwar, Rajasthan-301001

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2012.

No. 7-01/2012-SEA.I-- On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2012 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Arun Kumar (Rank 717)(OBC) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3, Rs.15,600-39,100/-+5,400/- on the following terms:

[i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

[ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

[v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

[vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

[vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and (ii) the community certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim of the candidate to belong to OBC or not to belong to creamy layer is false, his/ her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Panel Code for production of false certificates.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/ material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B.M. SHARMA, ADG [SEA-I]

To

Sh. Arun Kumar,
Shiva Nagar
Opposite Shiva Flour Mill
Kathua, Jammu & Kashmir-184101

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2012.

No.7-01/2012-SEA.I--On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2012 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Sh. Balasubramanian (Rank No.729)[S.C.](OL) to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3, Rs.15,600—39,100/- +5,400/- on the following terms:

[i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

[ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

[v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

[vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

[vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and (ii) the caste/tribe certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim of the candidate to belong to SC/ST, as the case may be, is false, his/ her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Panel Code for production of false certificates.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/ material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/ misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B.M. SHARMA, ADG [SEA-I]

To

Sh. Balasubramanian
Assistant Professor
Department of Biotechnology
Pondicherry University
Kalapet
Pondicherry-605014

Sub: Appointment to the Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' on the basis of result of Civil Services [Main] Examination, 2012.

No.7-01/2012-SEA.I--On the basis of the Civil Services [Main] Examination, 2012 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to provisionally appoint Ms. Pinky Baskey (Rank No.859)[S.T.] to the Junior Time Scale of Indian P&T Accounts and Finance Service Group 'A' in the pay scale of PB-3, Rs.15,600—39,100/-+5,400/- on the following terms:

[i] He/she will be on probation for a period of 2 years from the date of appointment which may be extended at the discretion of the Competent Authority. During the period of probation, he/she will be required to undergo such training and take such tests as Government may prescribe. Failure to pass the prescribed tests within the period of probation will render him/her liable to be discharged from service or reversion to his/her substantive post on which he/she may be retaining a lien, as the case may be.

[ii] The appointment will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of his/her having more than one wife living or having a spouse living, he/she has married and his/her marriage is void by the reason of its taking place during the life time of such spouse, the appointment will be subject to his/her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iii] The appointment of a female candidate will be subject to the submission of a declaration in the prescribed form to the effect that in the event of her marrying a person who has a wife living, the appointment will be subject to her being exempted from the enforcement of the requirement in this behalf.

[iv] The appointment will be subject to furnishing of information in respect of close relations in the prescribed proforma to be supplied by the NICF. Any change in the particulars given in the proforma to be further intimated at the end of each year.

[v] Taking of an oath of allegiance /faithfulness to the Constitution of India for making a solemn affirmation to that effect in the prescribed proforma.

[vi] The appointment carries with it the liability to serve in any part of India.

[vii] Other conditions of service will be governed by the relevant Rules and orders issued from time to time on the subject.

2. This offer of appointment is provisional subject to (i) clearance of verification of character and antecedents from the Cadre Controlling Authority i.e. Department of Telecommunications and (ii) the caste/tribe certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim of the candidate to belong to SC/ST, as the case may be, is false, his/ her services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Panel Code for production of false certificates.

3 a. In case the enquiry as envisaged under Rule 20 of Civil Services Examination Rules is pending in his/her case, his/her appointment to a service will be subject to he/she being found suitable on the basis such enquiry as may be considered necessary by the Government having regard to his/her character and antecedents.

3 b. In case, at any stage, it is found that any certificate or document furnished by him/her and having a bearing on his/her eligibility is not in order or any information/ material facts having bearing on his/her eligibility have been hidden/

misrepresented by him/her, then his/her appointment is liable to be cancelled forthwith without prejudice to any other punitive action under relevant rules.

4. The acceptance of this offer or not, is to be intimated to this department without fail. If he/she accepts this offer of appointment, he/she will report to the GM (Training & Finance), Department of Telecom., NICEF, Ghaziabad. This offer would lapse if he/she did not join within a period of one month from the date of issue of this offer.

5. The candidate who has joined the Foundation Course will be deemed to be in service from the date of his/her joining the Foundation Course.

B.M. SHARMA, ADG [SEA-I]

To

Ms. Pinky Baskey
House No. 23
Cross Road-13
AGRICO
JAMSHEDPUR
JHARKHAND-831009

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 17th January 2014

No.ERB-I/2014/2/1--The following Principal Private Secretary(PPS) Grade officers of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) have been promoted to the Senior Principal Private Secretary(Sr. PPS) Grade of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS), in the PB-3 of Rs. 15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the date indicated against each:-

S.No.	Name of the officer (S/Shri)	Date of Joining
1.	D.R. CHOWDHURY	07.03.2012(F.N.)
2.	MS. SHASHI SUD	01.01.2014(F.N.)
3.	A. GOPALAKRISHNAN	01.01.2014(F.N.)
4.	MS. S.B. GANDHI	01.01.2014(F.N.)

H.K. JAGGI, Secy.
(Railway Board)

New Delhi, the 9th April 2014

No.ERB-I/2014/2/1--Ms. Geeta Sharma, Senior Principal Private Secretary(Sr. PPS) Grade officer of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) has been promoted to the Principal Staff Officer(PSO) Grade of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS), in the PB-4 of Rs. 37,400--67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from forenoon of 07.04.2014.

P.C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

No.ERB-I/2014/2/1--Ms. Anita Malhotra, Principal Private Secretary(PPS) Grade officer of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) has been promoted to the Senior Principal Private Secretary(Sr. PPS) Grade of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS), in the PB-3 of Rs. 15,600--39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from forenoon of 31.03.2014.

P.C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

The 19th May 2014

No.ERB-I/2013/14/31--The following Personal Assistants of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS), have been promoted as Private Secretaries of RBSSS in the Pay Band-2 of Rs. 9,300--34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- on adhoc basis, with effect from the date indicated against each:--

S. No.	Name of the Officer(S/Shri/Ms.)	Date of Joining
1.	VINOD KUMAR CHAUHAN	08.05.2014(F.N.)
2.	INDERJIT SINGH AHLUWALIA	08.05.2014(F.N.)
3.	LAL MANI PAL	08.05.2014(F.N.)
4.	VIJAY KUMAR	08.05.2014(F.N.)
5.	N. NAZEERUDEEN	08.05.2014(F.N.)
6.	SANGEETA CHADHA	08.05.2014(F.N.)

P.C. GAJBHIYE, Secy.
(Railway Board)

New Delhi, the 17th April 2014

No. E(GP)2012/3/5 (Personnel)--In partial modification of this Ministry's notification of even number dated 18.11.2013 appointing Group 'B' officers of Personnel Department of Indian Railways to Group 'A'/Jr. Scale of Indian Railway Personnel Service (IRPS) w.e.f. 03.09.2013, appointment of Shri M.A. Mirza of East Central Railway in the Panel of 2012-13 may be treated as cancelled.

SUMAN SHARMA, Dir., Estt. (GP)
(Railway Board)

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 21st May 2014

No.3/4/2013-Admn.I-- In accordance with this Ministry's order of even no. dated 9th May, 2014 Shri Anil Kumar, Scientist "B" in MNRE,(in the Pay Band of Rs. 15,600--39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) is promoted to the level of Scientist "C" in MNRE, in the Pay Band of Rs. 15,600--39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- w.e.f 01.05.2014 i.e. date of promotion in said post and until further orders.

SURESH KUMAR, Under Secy.

No.3/4/2013-Admn.I--In accordance with this Ministry's order of even no. dated 9th May, 2014 Shri Sita Ram Meena, Scientist "B" in MNRE,(in the Pay Band of Rs. 15,600--39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/-) is promoted to the level of Scientist "C" in MNRE, in the Pay Band of Rs. 15,600--39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- w.e.f 5th May, 2014, i.e. date of promotion in said post and until further orders.

SURESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 15th May 2014

No.13/2014-Admn. F.No.A.19011/2/2014-Admn. The President is pleased to appoint Dr. Amarjit Singh, IAS (GJ:1982) as Additional Secretary in the Ministry of Water Resources in the pay scale of Rs.67,000--79000/- with effect from the afternoon of 30th April, 2014.

L.P. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 11th February 2014

No. A-12025/1/2012-IIS/ 185--On the basis of the result of the Civil Services Examination, the President is pleased to appoint the following candidates in the Junior Grade of Indian Information Service, Group Á' in the Pay Band of Rs.15,600-39,100/- with Grade Pay of Rs.5400/- with effect from the dates mentioned against their names and are posted in the following Media Units until further orders:

Sl. No.	Name of the candidates with year of CSE	Rank No.	Date of Appointment	Place of posting
1.	Sh. Ashutosh Mohle (CSE-2012)	570	13.12.2013	NSD:AIR, New Delhi
2.	Sh. Joyce Philip (CSE-2012)	632	02.09.2013	NSD:AIR, New Delhi
3.	Sh. Pranay Singh (CSE-2012)	959	13.12.2013	DDN, New Delhi

2. The above mentioned officers will be on probation for a period of 2 years with effect from the date of appointment in the Junior Grade of Indian Information Service Group Á'.

NEERAJ KUMAR, Under Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in